**उतर प्रदेश शासन,**
**महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3**
**संख्या-2/मु0मं0-63/साठ-3-13-3(21)/97टीसी**
**लखनऊ : दिनॉक : 28 अक्टूबर, 2013**

**अधिसूचना**

अधिसूचना संख्या - 61/60-3-13-3(21)/97 टीसी दिनॉक 24 अक्टूबर, 2013 पर अंकित सुश्री सोनम सिंह यादव, पुत्री डा0 विनय सिंह यादव, एफ/8, पार्क रोड, 6 विधायक निवास, लखनऊ, सदस्य उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग का श्री राज्यपाल द्वारा उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 की धारा-4 यथा संशोधित अधिनियम-2007 की धारा-4 के प्रस्तर-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से नामांकन एतदद्वारा समाप्त किया जाता है ।

**कामिनी चौहान रतन**
सचिव

संख्या-मु0मं0-63(1)/साठ-3-13, तददिनॉक
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण ।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
6- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
7- निदेशक, महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ ।
8- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ ।
9- सदस्य सचिव, उ0 प्र0 महिला आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ ।
10- प्रमुख सचिव गृह/गोपन विभाग ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमतीनगर, लखनऊ ।
12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ ।
13- सचिव, उ0 प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, कैसरबाग, लखनऊ ।
14- सदस्य सचिव, उ0 प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ ।
15- जिलाधिकारी, लखनउ को इस अनुरोध कि साथ कि वे कृपया मा0 सदस्य को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करे ।
16- सम्बन्धित नामित सदस्य ।
17- महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।
18- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

**(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)**
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in